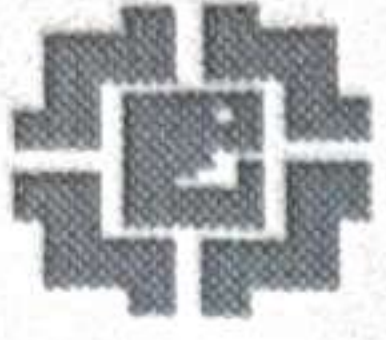




# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-12/2025/डी- 7228

दिनांक 28/11/25

श्री रामगोपाल सिधल पुत्र श्री किरोडीलाल सिधल  
निवासी 38/378, रजत पथ, मानसरोवर,  
जयपुर।

विषय :-

ग्राम निमेडा तहसील कालवाड के ख.नं. 375/3 व 375/4 कुल किता 02 रकबा 1.2267 व.मी. में आवासीय योजना "रामा पाम कोस्ट" का अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के कम में आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम निमेडा तहसील कालवाड के ख.नं. 375/3 व 375/4 कुल किता 02 रकबा 1.2267 व.मी. में आवासीय योजना "रामा पाम कोस्ट" आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 379वीं बैठक दिनांक 24.12.2024 को किया जा चुका है। अनुमोदित योजना के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्डों को जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर रहन मुक्त कराकर किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलग्न है।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena

Designation Deputy Commissioner

Date 2025-01-28 13:58:13 IST

Reason Approved

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर नगर, जयपुर  
दूरभाष - +91-141-2574798 ; ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सट. 8940 फ़ैक्स - +91-141-2574555

LAYOUT PLAN OF " RAMAA PALM COAST "

KHA. NO. 375/3 & 375/4 VILLAGE- NEEMERA TEHSIL- KALWAR, JAIPUR

आमंत्रित राजस्व मानचित्र मंडल

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन  
जोन-12

- नोट
- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
  - आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 04.12.2024 को हो चुकी है।
  - योजना की भूमि में रा.भू.स.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं गौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
  - टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 6, 11, 16, 26, 27, 30, 31 कुल भूखण्ड 7 कुल क्षेत्रफल 853.26 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के घेरे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
  - योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 379 वीं बैठक दिनांक 24.12.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
  - इन्फार्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
  - योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के आवासीय दर्शित है।
  - योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
  - बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।
  - L.T. Line के प्रभावित भूखण्डों की लीन-लाइन L.T. Line बिफर होने के पश्चात् ही जारी किया जावे।

सहायक नगर नियोजक  
जोन-12

तहसीलदार  
जोन-12

उपस्थित  
जोन-12

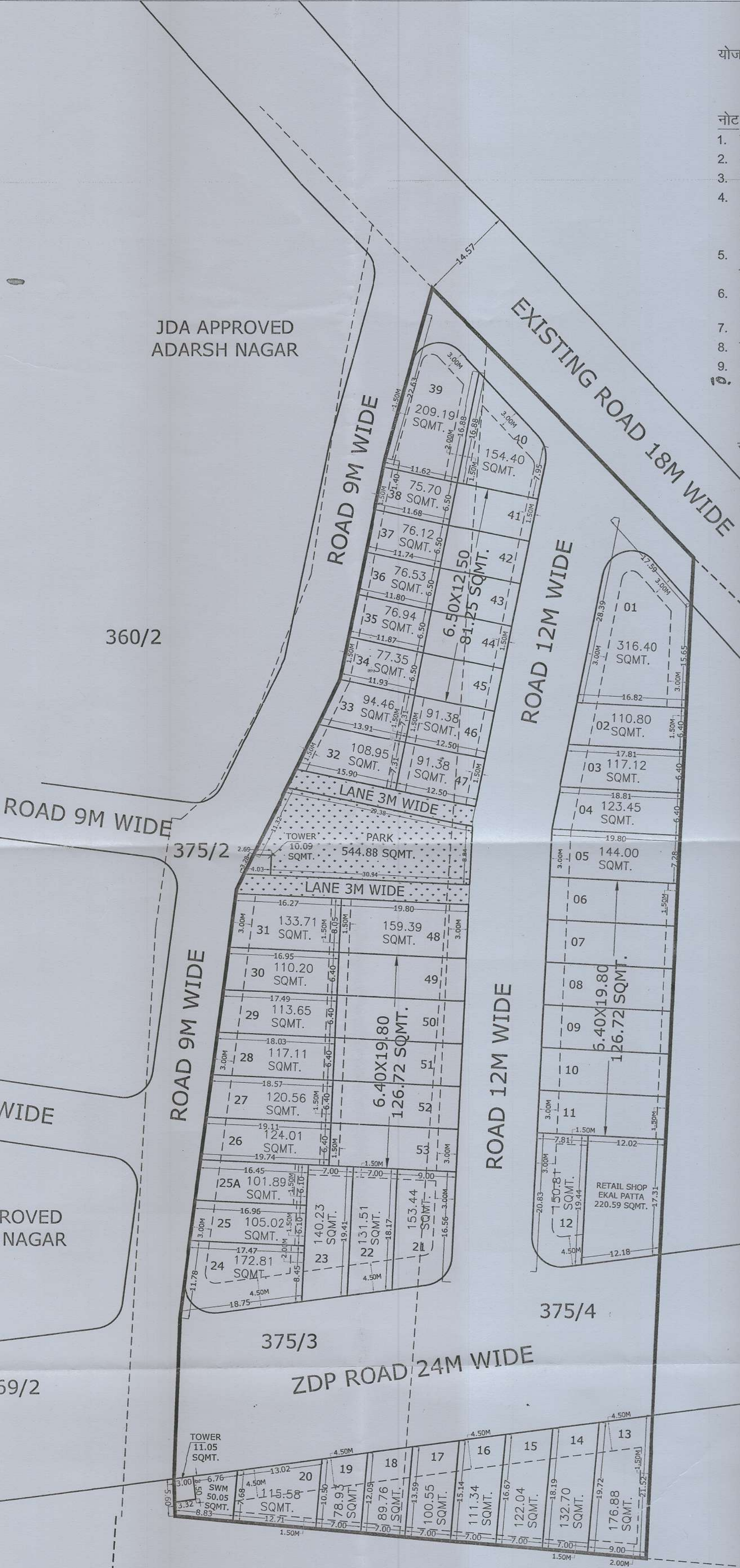
वरिष्ठ नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)



SCALE: 1CM = 5 MTR.

1510  
B  
27.1.25



| KHA. NO.  | AREA (HECT.) |
|-----------|--------------|
| 375/3     | 0.5311       |
| 375/4     | 0.6956       |
| TOTAL (2) | 1.2267       |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| JAMABANDI AREA  | 12267.00 SQMT. |
| LAND LOSS AREA  | 1401.70 SQMT.  |
| NET SCHEME AREA | 10865.30 SQMT. |

AREA ANALYSIS'S :-

| S.NO. | LAND USE               | AREA           | %        |
|-------|------------------------|----------------|----------|
| 1.    | RESIDENTIAL PLOT       | 6506.48 SQMT.  | 59.88 %  |
| 2.    | RETAIL SHOP EKAL PATTI | 220.59 SQMT.   | 2.03 %   |
| 3.    | PARK + LANE            | 544.88 SQMT.   | 5.01 %   |
| 4.    | SWM                    | 50.05 SQMT.    | 0.47 %   |
| 5.    | MOBILE TOWER           | 21.14 SQMT.    | 0.19 %   |
| 6.    | ZDP ROAD 24M           | 1781.72 SQMT.  | 16.40%   |
| 7.    | INTERNAL ROAD          | 1740.44 SQMT.  | 16.02 %  |
| 8.    | NET SCHEME AREA        | 10865.30 SQMT. | 100.00 % |

NAME OF SOCIETY : NIJI KHATEDAR

NAME OF SCHEME : RAMAA PALM COAST

SCALE: 1CM = 5 MTR. DRG. NO.

J.D.A. ZONE - 12

PLANNER :



CADMAX Design Services

C-49, B-3, VIDHYA APPARTMENTS,  
PARAS MARG, BAPUNAGAR, JAIPUR  
PH:-0141- 4036515 email - info@cadmaxds.com

586/376

CADMAX Design Services

Authorized Nagar Mitra  
Reg. No. CTR Raj Nagar Mitra-2021(190)158

कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.)  
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बगरू

क्रमांक: स.अ./प.व.स./जेपीडी/प्रे

442-6

दिनांक 25/1/25

मांग - पत्र

सर्व श्री Rama Palm Coast c/o Ramchahal

ग्राम Nimeda

पोस्ट

Nimeda

तह Jalpur

जिला

Jalpur

विषय:- विद्युत कनेक्शन के लिए सूचना। Sanction XEN (DDI) D- 1967 DT 15-1-2025

आपका आवेदन पत्र संख्या Time Sheet दिनांक 53589 = 5 घरेलू/वाणिज्य/पावर कनेक्शन हेतु 230/440 वोल्ट किलोवाट/कैवीए के लिए स्वीकृत किया गया है। अतः निम्नलिखित औपचारिकताएँ पूर्ण कर एस्टीमेट एवं सुरक्षा इस कार्यालय में जमा करावें ताकि कनेक्शन देने की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. एस्टीमेट की राशि 53589 = 5
2. स्थायी शुल्क
3. सुरक्षा की राशि
4. किरायेदार होने के नाते सुरक्षा राशि
5. एच.पी./ट्रान्सफार्मेशन चार्ज
6. मीटर की राशि
7. मीटर बॉक्स की राशि
8. सुपरविजन की राशि
9. APP. Fees = 500 = 5
10. कुल राशि 54089 = 5

1. यदि उपरोक्त राशि का मांग पत्र जारी होने के 30/60 दिन के भीतर जमा नहीं कराया गया तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

(राशि जमा कराने का समय प्रातः 10:00 बजे से 02:00 बजे तक है।) तथा राशि 10000 तक नगद भुगतान व 10000 से अधिक डी.डी. से स्वीकार किया जायेगा। बैंक नहीं लिया जायेगा।

2. पुराना कटे हुए विद्युत कनेक्शन/वर्तमान में चल रहे विद्युत कनेक्शन/वी.सी.आर. की बकाया राशि जमा कराने पर ही कनेक्शन दिया जायेगा।

3. मीटर बॉर्ड / MCB/ELCB/ इत्यादि सामग्री उपलब्ध कराने पर ही कनेक्शन होगा।

4. आवेदन स्थल पर लाईन खींचने में किसी भी विवाद की जिम्मेदारी आपकी होगी।

5. पडोसी की बाउण्ड्री की स्वीकृति तथा उसके मकान मालिक होने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। तथा स्वयं के मालिकाना हक के दस्तावेज उपलब्ध करावें।

6. आवेदित स्थल का पता न मिलने के कारण आपका एस्टीमेट नहीं बनाया जा सका। अतः स्पष्ट एवं पूर्ण पता मय मानचित्र के प्रस्तुत करने पर ही एस्टीमेट बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

7. आवेदित स्थल पर मकान/दुकान/फैक्ट्री व अन्य किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने के कारण एस्टीमेट नहीं बनाया जा सका।

8. कनिष्ठ अभियन्ता रिपोर्ट अनुसार उक्त आवेदन स्थल गैर आबादी में बताया है। अतः JPR-5-580 के अनुसार कनेक्शन साध्य नहीं है अतः आप SFS ea आवेदन करें।

9. आवेदित स्थल पर मकान का कार्य निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आवेदन करें।

10. उक्त स्कीम सम्पूर्ण कॉलोनी होने पर ही मान्य होगी।

11. कनेक्शन चाहे गये भवन के प्रत्येक तल का क्षेत्र दर्शाते हुये कुल क्षेत्रफल का सत्यापित नक्शा एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट व प्रत्येक तल का अनुमानित विद्युत उपभोग का विवरण प्रस्तुत करें।

12. उक्त एतराज दस्तावेज का 7 दिवस में स्पष्ट जवाब उपलब्ध करावें। अन्यथा उक्त पत्रावली निरस्त समझी जावेगी।

सहायक अभियन्ता (वितरण)  
जयपुर डिस्ट्रिक्ट, बगरू

FORM NO A-9

Consumer Copy

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

Note if payment made by cheque this receipt will be considered as "provision" until the cheque is encashed

Name of Office: AEN OM BAGRU CCID: 211534001  
Misc Cash Receipt 211534001250200018  
Rel/Violance No. 7976749252  
Date & Time 03-02-2025 13:37:11 PM  
Received From Sri RAMA PALM COAST,  
The Sum of Rs. 54089  
(Rupees Fifty Four Thousand Eighty Nine Only)  
Mode of Transaction NEFT/RTGS  
Bank Name: HDFC  
NEFT/RTGS No.: 99524  
NEFT/RTGS Date: 28-01-2025

REUNO: 211534001250200018, Date: 03-02-2025

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

Note if payment made by cheque this receipt will be considered as "provision" until the cheque is encashed

Name of Office: AEN OM BAGRU CCID: 211534001  
Sno Demand Details

Estimate Cost  
GST (CENTRAL STATE) TOTAL  
AEN/AEN/AO/CASHIER

Amount

54089

54089